न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :- जगदीश आर्य
आर.ए.एस

अपील संख्या :- 12/2022

बजरंग सिंह पुत्र छीतर सिंह जाति राजपूत निवासी भाबरू तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कार्यालय तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज.)

रेस्पोडेन्ट

2. मोहनसिंह पुत्र छीतरसिंह निवासी भाबरू तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज.)
3. मैसर्स सलासर पोली प्लेक्स प्रा.लि. पंजिकृत कार्यालय ग्राम भाबरू एन.एच 8 तहसील विराटनगर जिला जयपुर द्वारा रोहिताश कुमार शर्मा पुत्र महावीर प्रसाद शर्मा नि. 501 द्वितीय फ्लोर अशोक एनक्लेव 3 सैक्टर 35 फरीदाबाद हरियाणा।

तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व तहसीलदार विराटनगर बाबत निरस्त किये जाने नामान्तरकरण संख्या 2166 दिनांक 04/8/2011

निर्णय

दिनांक 01-2-2022

अपीलान्ट नामान्तरकरण संख्या 2166 दिनांक 04/8/2011 वाके ग्राम भाबरू तहसील विराटनगर से व्यथित होकर उक्त अपील पेश की है, जिसमें संक्षेप में तथ्य इस प्रकार पेश किये है कि प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण् की खातेदारी भूमि हाल ख.नं. 2429/0.60 है0, 2430/0.69 है0, 2431/0.39 है0, 2432/0.60 है0, 2434/0.48 है0, 2435/0.31 है0, 2436/0.30 है0, 2437/0.01 है0, 2438/1.49 है0, 2439/0.04 है0, 2440/0.10 है0 कुल खसरा 11 कुल रकबा 5.01 है0 भूमि वाके ग्राम भाबरू तहसील विराटनगर जिला जयपुर में स्थित है। उपरोक्त खातेदारी भूमि का प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण् के मध्य आपसी सहमति बंटवारा दिनांक 01/8/2011 को तहसीलदार विराटनगर के समक्ष किया गया जिसका नामा. 04/8/2011 को नामा.सं. 2166 स्वीकार किया गया है। प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण् के मध्य हुआ बंटवारा हिस्से को नामा. के पृष्ठ पर नक्शे के द्वारा दर्शित किया गया है। आपसी सहमति से बंटवारे के बाद प्रार्थी के हिस्से के खसरा नम्बर 2432, 2429, 2438/1 में हिस्सा 111/163 प्राप्त हुआ था । बटवारे से अपीलान्ट के हिस्से में आया ख.नं. 2438/1 की भूमि का पटवारी हल्का ने नक्शा तरमीम किया पटवारी हल्का ने नक्शा तरमीम करते समय मौका स्थिति के विपरीत तथा नक्शा ट्रेस के विपरीत नामा. पर दर्ज किया नक्शा में गडबडी करते हुये ख.नं. 2438/2 नक्शें में खसरा नम्बर 2438/1 की पूर्वी दिशा की भूमि को शामिल कर नक्शा नामा. बना दिया जो नक्शा ट्रेस व मौका स्थित के विपरीत होने से नामा.सं. 2166 खारिज किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का द्वारा आपसी बटवारे में आयी भूमि की तरमीम मौका स्थिति एवं नक्शा ट्रेस के विपरीत नामा. पर गलत रूप से बनाये गया नक्शा को दुरूस्त करने बाबत निवेदन करने पर अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट साफ इन्कार हो गये ।

तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण् के द्वारा आपसी सहमति से हुआ बंटवारा के विपरीत जाकर नामान्तरकरण पर नक्शा गलत रूप से दर्शित किया है जिसकी अनदेखी कर मनमाने रूप से अनदेखी की है, जो खारिज किये जाने योग्य है। आपसी सहमति से हुआ बटवारा उसके विपरीत जाकर पटवारी हल्का ने नामा. पर नक्शा विधि विरूद्व तरिके से दर्शित किया है जो मौका स्थिति व नक्शा ट्रेस से मेल नहीं खाता है ऐसे के नामा. गलत एवं विधि विरूद्व है जो खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को नामा. की नकल प्राप्त करने व अधिवक्ता से कानूनी जानकारी प्राप्त होने एवं नामा. गलत दर्ज होने की सूरत में बिना किसी देरी के अपील अन्दर मियाद पेश है।

तरतीबी अप्रार्थीगण् आराजी मे सह खातेदार है, लेकिन उन्होने किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है। इसलिए तरतीबी अप्रार्थीगण् बनाया गया है। पूर्व खातेदार हनुमानसिंह पुत्र छितरसिंह अभयसिंह पुत्र जोरसिंह मूर्ती देवी पत्नी सुरजाराम यादव निवासी ढाणी खांगला तन लाडाकाबास द्वारा भूमि का बेचान तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को कर दिया है। इसलिए उनको पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। ग्राम भाबरू तहसील विराटनगर श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में है, जिसमें अपील सुनने व तय करने का अधिकार प्राप्त है।

अतः अपील मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामा.सं. 2166 दिनांक 04/8/011 को अपास्त फरमाया जाकर नामा. पर बनाये गये नक्शे को मौका स्थिती एवं नक्शा ट्रेस के अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रकरण में जवाब पेश हुआ जिस संलग्न पत्रावली किया प्रस्तुत जवाब में वर्णित किया गया कि प्रकरण में वर्णित तथ्य एवं परिस्थितियो एवं राजहित को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थी की अपील फैसल फरमावें।

बहस सुनी गयी ।वकील अपीलान्ट का बहस में अभिकथन है कि अपील मे वर्णित उपरोक्त आराजी कुल खसरा 11 रकबा 5.01 है0 वाके ग्राम भाबरू तहसील विराटनगर मे स्थित है। उपरोक्त खातेदारी भूमि का प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण् के मध्य आपसी सहमति से दिनांक 01/8/2011 को तहसीलदार विराटनगर के समक्ष बटवारा पेश हुआ जो नामा सं. 2166 भरा जाकर दिनांक 04/8/2011 को स्वीकार हुआ। पक्षकारों के मध्य हुआ बटवारा हिस्से को नामा. के पृष्ठ पर नक्शे के द्वारा दर्शित किया गया। अपीलान्ट को बटवारे हिस्सा मे ख.नं. 2432, 2429, 2438/1 में हिस्सा 111/163 प्राप्त हुआ था। अपीलान्ट के हिस्से में आया उक्त ख.नं. 2438/1 की भूमि का पटवारी हल्का द्वारा तरमीम किया गया तरमीम करते समय मौका स्थिति के विपरीत तथा नक्शा टे्स के विपरीत जाकर नामा. पर दर्शित नक्शे में गडबडी करते हुये ख.नं. 2438/2 के नक्शे मे ख.नं. 2438/1 की पूर्वी दिशा की भूमि का शामिल कर नक्शा नामा. पर बना दिया जो नक्शा टे्स व मौका स्थिती के विपरीत है।

नामान्तरकरण पर मौका स्थिती एवं नक्शा ट्रेस के वपिरीत गलत तरिके से बनाये गये नक्शे को दुरूस्त कराने बाबत निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी साफ इन्कार कर दिया जो गैर कानूनी है। पटवारी हल्का द्वारा उक्त नामा. भरते समय बिना किसी नाप जोख के विधि

विरुद्ध तरीके से आपसी सहमति बटवारे के विपरीत जाकर नामा. पर नक्शा कशीद किया है जो मौका स्थिति व नक्शा ट्रेस से मेल नहीं खाता है ऐसे में नामा. की कार्यवाही गलत एवं विधि विरुद्ध है जो खारिज योग्य है। तरतीबी अप्रार्थीगण आराजी के सह खातेदार है, लेकिन उनसे किसी का अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः अपील मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामा.सं. 2166 दिनांक 04/8/2011 पर बनाये गये नक्शे को मौका स्थिति व नक्शा ट्रेस के अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड साक्ष्य सबूतों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने से पाया कि अपील मीमो में वर्णित आराजीयात ग्राम भाबरू का आपसी सहमती से खातेदारों के मध्य दिनांक 01/8/2011 को बटवारा होकर नामा.सं. 2166 दिनांक 04/8/2011 को स्वीकार होना पाया गया।

तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रार्थी तरतीबी अप्रार्थीगण के द्वारा आपसी सहमति से हुआ बटवारा के विपरीत जाकर नामा. पर नक्शा गलत दर्शित किया है। बटवारे से अपीलान्ट के हिस्से में आया ख.न. 2438/1 भूमि का पटवारी हल्का ने नक्शा तरमीम किया नक्शा तरमीम करते समय मौका स्थिती एवं नक्शा ट्रेस के विपरीत नामा. पर दर्ज किया गया नक्शे में गडबडी करते हुये ख.न. 2438/2 नक्शा में अपीलान्ट का ख.न. 2438/1 की पूर्वी दिशा की भूमि में शामिल कर नक्शा नामा. पर बना दिया जो नक्शा ट्रेस व मौका स्थिति के विपरीत है जो विधि विरुद्ध है। तहसीलदार विराटनगर विधि विरुद्ध जाकर मनमानी रूप से आपसी सहमति से हुआ बटवारा के विपरीत जाकर मौका स्थिति एवं नक्शा ट्रेस के विपरीत जाकर नामा. पर गलत रूप से नक्शा दर्शित किया है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है क्योकि नामा. पर बनाया गया दर्शित नक्शा मौका स्थिति व नक्शा ट्रेस से मेल नहीं खाता है ऐसी स्थिमि में नामा. पर गलत रूप से बनाया गया नक्शा दुरूस्त किया जाना न्याय संगत है तथा अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार किया जाना उचित एवं विधि सम्मत है।

अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा उक्त नामा. पर दर्शित नक्शा में संशोधन के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण् के मध्य हुआ बटवारा के अनुरूप मौका स्थिति एवं नक्शा ट्रेस के अनुसार नक्शे में संशोधन करने की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपुतली (जयपुर)